

9

सरकार
राजस्व & ग्रुप-6 & विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक:- प. 1481/राज-6/2002/1

जयपुर, दिनांक:- 13.2.2002

-: परिपत्र :-

=====

विषय:- संस्थाओं को निशुल्क भूमि आवंटनबाबत।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार ने निम्न कार्यों के लिए-सरकारी संस्थाओं को 1000 वर्गज तक भूमि निशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है:-

1. नशा मुक्ति के लिए स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा संस्थाओं के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु ।
2. वृद्धाश्रम स्थापित करने के लिए ।
3. सार्वजनिक प्याउ, शौचालय, मूत्रालय का निर्माण कर, उनको रख-रखाव करने वाली संस्थाओं को ।
4. मूक बधिर एवं निशक्त जनों के प्रशिक्षण तथा उन्हें स्वात्मम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु ।
5. पेशवरों के लिए विश्रामघर ।
6. रेन-बसेरे
7. फुट क्लब।

उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्ताव संबंधित आवश्यक अभिलेखों के साथ राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये। इस संबंध में राजस्थान भू-राजस्व & स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिकारित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन & नियम, 1963 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

श्री जी. डी. सिंह
सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि: समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

शासन उप सचिव

मनोज